रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937

No. 379] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

सं.एल–1/144/2013–केविविआ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 23क के सिवाय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) विनियम 23क 1.6.2015 से प्रवृत्त होगा और जबतक कि इसे आगे न बढ़ाया जाए, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए लागू होगा।

2. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन :**

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (7) के अधीन परंतुक (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(iक) उक्त परंतुक (i) के अनुसार निर्धारित टैरिफ तथा इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार निर्धारित टैरिफ के बीच अंतर को तीन समान मासिक किस्तों में संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज सहित वसूला या वापस किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड 8 के अधीन परंतुक (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा।

"(iक) उक्त परंतुक (i) के अनुसार निर्धारित टैरिफ तथा इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार निर्धारित टैरिफ के बीच अंतर को तीन समान मासिक किस्तों में संबंधित वर्ष के

1 अप्रैल को बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज सहित वसूला या वापस किया जाएगा।"

(3) **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन** : (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड 6 में दूसरे वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"इस विनियम के खंड 2 (क)(i) से (iii) में यथादर्शित प्रचालनगत पैरामीटरों के कारण हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों से भिन्न उत्पादन केन्द्र के मामले में, निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार संगणित वित्तीय लाभों को उत्पादन केन्द्रों और हिताधिकारियों के बीच 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (6) के अधीन दिए गए फार्मूले के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के मामले में, सामान्यात्मक सहायक ऊर्जा उपभोग से कम किए जा रहे वास्तविक सहायक ऊर्जा उपभोग के कारण कुल लाभ निम्नलिखित फामूर्ले के अनुसार संगणित किया जाएगा बशर्ते कि बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक हो और उत्पादन केन्द्र तथा हिताधिकारियों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगाः

(i) जब बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन सामान्यात्मक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक है और वास्तविक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से कम या बराबर हैः

कुल लाभ(मिलियन रुपए)=

(एमयू में बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन–एमयू में सामान्यात्मक सहायक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा)x0.90

(ii) जब बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक है

कुल लाभ(मिलियन रुपए)=

(एमयू में बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन x (100–% में सामान्य एईसी)/(100–% में वास्तविक एईसी)x0.90

(4) **मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 9 के खंड 2 के उपखंड (ख) के अधीन एक नया उपखंड जोड़ा जाएगाः

"(ख1) निर्माण अवधि के दौरान लिए गए ऋण रकम से संबंधित विदेशी विनिमय जोखिम परिवर्तनीयता के कारण कोई लाभ या हानि पूंजी लागत का भाग होगी।"

(5) **मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (2) के उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक 'आईडीसी' शब्द के पश्चात् 'और आईईडीसी' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(6) **मूल विनियम में नए विनियम को जोड़ना** : मूल विनियम के विनियम 23 के पश्चात्, एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 23क अंतःस्थापित किया जाएगाः

"**23क गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ निर्धारण** : विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2015 टीएच1 तारीख 27.3.2015 द्वारा जारी किए गए 'गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए योजना' के अंतर्गत सम्मिलित किए गए गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ सुसंगत विनियमों के विचलन में उस योजना के उपबंधों पर सम्यक् विचार करने पर अवधारित किया जाएगा।"

(7) **मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 25 के खंड (1) में, अंतिम वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"अन्य कारबार स्ट्रीमों से आय पर वास्तविक कर, जिसमें आस्थगित कर दायित्व भी है,(अर्थात् यथास्थिति, उत्पादन या पारेषण से भिन्न कारबार पर आय) पर प्रभावी कर दर की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

(8) **मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (3) के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि आईटी उपकरण और साफ्टवेयर के लिए सालवेज मूल्य शून्य समझा जाएगा और आस्तियों का 100 प्रतिशत मूल्य अवक्षयण योग्य माना जाएगा।"

(9) **मूल विनियम के विनियम 29 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 29 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन सारणी में, शब्द 'दुर्गापुर टीपीएस (यूनिट 1)' शब्दों के स्थान पर 'दुर्गापुर टीपीएस (यूनिट–3)' शब्द रखें जाएंगे।

(10) **मूल विनियम के विनियम 49 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"49. 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताएं, जब कभी वे कार्यान्वित की जाती हैं, यथास्थिति, हिताधिकारियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों/डीआईसी से उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य होंगे। 1.4.2009 से 31.3.2014 और 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधियों के लिए आस्थगित कर देयताएं, यथास्थिति, हिताधिकारियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों/डीआईसी, से वसूल नहीं किए जाएंगे।"

(11) **मूल विनियम के परिशिष्ट II में संशोधन** : मूल विनियम के परिशिष्ट II (अवक्षयण सारणी) में, क्रम संख्या (ण) के अधीन निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

(iii)	फाइबर ऑप्टिक	6.33%

[विज्ञापन–III/4/असा./150/15]

शुभा शर्मा, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 83, तारीख 12 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2015

No. L-1/144/2013/CERC: In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Section 61 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014 (hereinafter referred as "the Principal Regulations"):

1. **Short title and commencement**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations except Regulation 23A shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

(3) Regulation 23A shall come into force with effect from 1.6.2015 and shall be applicable for the years 2015-16 and 2016-17 unless extended further.

2. **Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:**

(1) The following proviso shall be added after proviso (i) under Clause 7 of Regulation 7 of the Principal Regulations:

"(ia) The difference between the tariff determined in accordance with proviso (i) above and the tariff determined in accordance with Regulation 6 of these regulations shall be recovered or refunded with simple interest at the rate equal to the bank rate as on 1st April of the respective year, in three equal monthly instalments."

(2) The following proviso shall be added after proviso (i) under Clause 8 of Regulation 7 of the Principal Regulations:

"(ia) The difference between the tariff determined in accordance with proviso (i) above and the tariff determined in accordance with Regulation 6 of these regulations shall be recovered or refunded with simple interest at the rate equal to the bank rate as on 1st April of the respective year, in three equal monthly instalments."

3. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations: (1) In Clause (6) of Regulation 8 of Principal Regulations, the second sentence shall be substituted as under:

"The financial gains computed as per the following formulae in case of generating station other than hydro generating stations on account of operational parameters as shown in Clause 2 (a) (i) to (iii) of this Regulation shall be shared in the ratio of 60:40 between the generating stations and beneficiaries."

(2) The following proviso shall be added after the formula given under Clause (6) of Regulation 8 of the Principal Regulations:

Provided that in case of hydro generating stations, the net gain on account of Actual Auxiliary Energy Consumption being less than the Normative Auxiliary Energy Consumption, shall be computed as per following formulae provided the saleable scheduled generation is more than the saleable design energy and shall be shared in the ratio of 60:40 between generating station and beneficiaries:

(i) When saleable scheduled generation is more than saleable design energy on the basis of normative auxiliary consumption and less than or equal to saleable design energy on the basis of actual auxiliary consumption:

Net gain (Million Rupees) =

(Saleable Scheduled generation in MUs- Saleable Design energy on the basis of normative auxiliary consumption in MUs) x 0.90

(ii) When saleable scheduled generation is more than saleable design energy on the basis of actual auxiliary consumption:

Net gain (Million Rupees) =

{Saleable Scheduled generation in MUs- [(Saleable Scheduled Generation in MUs x (100-normative AEC in %)/(100-actual AEC in %)]}x 0.90

4. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations: A new sub-clause shall be added under sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 9 of Principal Regulations as under:

"(bi) Any gain or loss on account of foreign exchange risk variation pertaining to the loan amount availed during the construction period shall form part of the capital cost."

5. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations: In second proviso to sub-clause (ii) of Clause (2) of Regulation 12 of the Principal Regulations, the word "and IEDC" shall be inserted after the word "IDC".

6. Addition of a new Regulation to the Principal Regulations: A new regulation, namely Regulation 23A shall be inserted after Regulation 23 of the Principal Regulations:

"**23A. Tariff Determination of Gas based generating stations**: The tariff of gas based generating stations covered under the "Scheme for Utilization of Gas based power generation capacity" issued by the Government of India, Ministry of Power vide Office Memorandum No. 4/2/2015-Th.1 dated 27.3.2015 shall be determined in due consideration of the provisions of that scheme in deviation of the relevant regulations".

7. Amendment to Regulation 25 of the Principal Regulations: In Clause (1) of Regulation 25 of the Principal Regulations, the last sentence shall be substituted as under:

"The actual tax on income from other business streams including deferred tax liability (i.e. income on business other than business of generation or transmission, as the case may be) shall not be considered for the calculation of effective tax rate."

8. Amendment to Regulation 27 of the Principal Regulations: The following proviso shall be added under Clause (3) of Regulation 27 of the Principal Regulations:

"Provided that the salvage value for IT equipment and software shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered depreciable."

9. Amendment to Regulation 29 of the Principal Regulations: In the table under sub-clause (b) of Clause (1) of Regulation 29 of the Principal Regulations, the words "Durgapur TPS (Unit-1)" shall be substituted by the words "Durgapur TPS (Unit-3)".

10. Amendment to Regulation 49 of the Principal Regulations: Regulation 49 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

"49. Deferred tax liabilities for the period upto 31st March, 2009 whenever they materialise shall be recoverable directly by the generating companies or transmission licensees from the beneficiaries or long term transmission customers/DICs, as the case may be. Deferred tax liabilities for the periods from 1.4.2009 to 31.3.2014 and 1.4.2014 to 31.3.2019 shall not be recoverable from the beneficiaries or the long term transmission customers/DICs, as the case may be."

11. Amendment to the Appendix II to the Principal Regulations: In Appendix II (Depreciation Table) to the Principal Regulations, the following shall be added under Serial No. (o):

(iii)	Fibre Optic	6.33%

[ADVT.-III/4/Exty/150/15]

SHUBHA SARMA, Secy.

Note : The Principal Regulations were published on 12th March, 2014 in the Gazette of India Extraordinary Part III-Section 4 at Serial No.83.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.